

कार्यालय, रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद
(M.P. PARAMEDICAL COUNCIL)
(A Statutory Body of the Government of Madhya Pradesh)
तृतीय तल, प्लेटिनम प्लाजा, माता मन्दिर रोड, भोपाल

क्र./F-26/कालेज-2025-2026/797/2026,

आवश्यक/स्पीड-पोस्ट

भोपाल, दिनांक 06/05/2026

प्रति,

1. आयुक्त,
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग,
मध्यप्रदेश
2. समस्त संभागायुक्त,
मध्यप्रदेश, भोपाल
3. समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश
4. समस्त अधिष्ठाता,
शा. चिकित्सा महाविद्यालय, म.प्र.
5. समस्त, प्रधानाचार्य,
आयुर्वेद/होम्योपैथी/युनानी चिकित्सा महाविद्यालय
6. समस्त प्राचार्य,
पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट

विषय :- म.प्र. सह-चिकित्सीय परिषद से मान्यता प्राप्त शासकीय स्वशासी एवं निजी पैरामेडिकल संस्थाओं में संचालित पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों (शैक्षणिक सत्र 2025-2026) का वार्षिक शिक्षण शुल्क।

सन्दर्भ :- शासनादेश क्रं एफ-5-14/18/1/55 वि.शि. भोपाल दिनांक 24/05/2018 की कंडिका 02 के परिपालन में।

—00—

उपरोक्त सन्दर्भित आदेश की कंडिका क्रं 02 के परिपालन में प्रदेश के समस्त शासकीय, स्वशासी एवं निजी पैरामेडिकल संस्थाओं में संचालित पैरामेडिकल पाठ्यक्रम सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु निम्नानुसार वार्षिक शिक्षण शुल्क निर्धारित किया जाता है:-

सं.क्र.	पाठ्यक्रम	वार्षिक शुल्क (रु.)
1.	स्नातकोत्तर (पी.जी.)	1,64,850/-
2.	डिग्री (3 से 4 वर्षीय)	92,300/-
3.	डिप्लोमा (2 वर्षीय)	59,360/-
4.	सर्टिफिकेट (1 वर्षीय)	42,860/-

2. उपरोक्त शुल्क में सत्रवार 7.4 प्रतिशत की स्वतः बढोत्तरी होगी, जिसे निकटतम 10 के पूर्णांक में निर्धारित किया गया है।

नियन्त्रक पृष्ठ 2

